

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.5( )/नि.नि.वि/भौ.स.प्र/लेखा/आईसीडीएस/104154 18/3/16 जयपुर,दिनांक:

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास सेवाएं,

समस्त.....

विषय:- स्टोर के भौतिक सत्यापन वर्ष 2015-16 के लिए प्रमाण पत्र भेजने  
बाबत

प्रसंग:- एफ 5( )निनिवि/भौ0स0/ले0/34700-34732 दिनांक 14-03-16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है आपके नियंत्रण अधीन उप. निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के भाग II के नियम 12 के अनुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन कराया जाकर संकलित प्रमाण पत्र 15 मई 2016 तक चाहा गया था किन्तु आज दिनांक तक आपके एवं अधिनस्थ कार्यालयों का प्रमाण पत्र अपेक्षित है अतः अविलम्ब 3 दिवस में भौतिक सत्यापन <sup>प्रमाण पत्र</sup> भिजवाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर,दिनांक: 3-8-16

क्रमांक:एफ.5( )/नि.नि.वि/भौ.स.प्र/लेखा/आईसीडीएस/

प्रतिलिपी:- एनालिस्ट कम प्राग्राम मुख्यालय को विभागीय की बेबसाईट पर अपलोड करने  
बाबत।

वित्तीय सलाहकार

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।